

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223544
SG-DL-E-07122020-223544

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 265]	दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2020/अग्रहायण 13, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 215
No. 265]	DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2020/AGRAHAYANA 13, 1942	[N. C. T. D. No. 215

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2020

सं.फा. 6/18/2020—न्याय/अधी.विधि./1162-1168.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्न अधिकारियों को नियुक्त/पदोन्नत करते हैं:—

- (1) दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1970 के नियम 7(1)(क) के तहत, श्री राजिंदर कुमार एवं श्री विपिन खरब (वर्तमान में दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में तदर्थ आधार पर नियुक्त) को स्थायी आधार पर दो नियमित रिक्तियों के विरुद्ध दिनांक 01.12.2020 से नियुक्ति के लिए एवं उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में दो वर्षों की अवधि के लिए परीक्षा पर रखते हैं।
- (2) श्री सुधीर कुमार सिरोही एवं श्री अशोक कुमार दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों को दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में दिनांक 01.12.2020 से तदर्थ आधार पर फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की रिक्तियों के विरुद्ध जो उपरोक्त दो अधिकारियों द्वारा दिनांक 01.12.2020 से फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के पद की रिक्ति के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होगी, उनके द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में आवश्यक वचनबंद प्रस्तुत करने के अधीन, उनके कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्ति के लिए। तदर्थ आधार पर पदोन्नति दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के संवर्ग में पूर्वोक्त अधिकारियों पर अवशोषण या वरिष्ठता का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी तथा इस तरह के फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों के बंद होने के मामले में ऐसे अधिकारी दिल्ली न्यायिक सेवा के मूल संवर्ग में वापस आ जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल
के आदेशानुसार तथा उनके नाम पर,

संजय कुमार अग्रवाल, प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)
(1)

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS
NOTIFICATION

Delhi, the 4th December, 2020

No. F. 6/18/2020-Judl./Suptlaw/1162-1168.—The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in consultation with the High Court of Delhi is pleased to appoint/promote the following officers:-

- (1) For appointment of Mr. Rajinder Kumar and Mr. Vipin Khrab (presently appointed on ad-hoc basis in Delhi Higher Judicial Service) on regular basis against the two regular vacancies w.e.f. 01.12.2020 under Rule 7(1)(a) of DHJS Rules, 1970 and to place them on probation in the Delhi Higher Judicial Service for a period of two years from the date of their joining.
- (2) For the appointment of Mr. Sudhir Kumar Sirohi and Mr. Ashok Kumar, officers of Delhi Judicial Service to Delhi Higher Judicial Service on ad-hoc basis w.e.f. 01.12.2020 against the FTSCs vacancies which would be arising consequent upon the aforesaid two officers vacating the post of FTSCs w.e.f. 01.12.2020, subject to their furnishing requisite undertaking to Delhi High Court, from the date they assume charge. The promotion on ad-hoc basis shall not confer any right of absorption or seniority on the aforesaid officers in the cadre of Delhi Higher Judicial Service and in case of discontinuation of such Fast Track Special Courts, such officers shall revert back to the substantive Cadre of Delhi Judicial Service.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,

SANJAY KUMAR AGGARWAL, Principal Secy. (Law, Justice & L.A.)